बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

—: कार्यालय आदेश :—

श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर के विरुद्ध उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक—2142, दिनांक—20.11.2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—15983, दिनांक—14.12.2017 के अनुरूप विहित प्रपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया।

2. प्राप्त आरोप—पत्र के अनुमोदनोपरांत आरोप—पत्र तथा आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक—7276, दिनांक—17.12.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17/19 के आलोक में अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अन्दर श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

3. विभागीय पत्रांक—7276, दिनांक—17.12.2025 के आलोक में श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक—195, दिनांक—23.12.2025 द्वारा आरोप—पत्र पर बचाव का लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

4. श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया है। यह भी पाया गया कि श्री सिंह के मामले में विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। अतः विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक—749, दिनांक—11.02.2026 द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालन हेतु श्री राजेश कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राय अभिषेक नाथ सहाय, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—05 (अवर सचिव का कार्यकारी प्रभार) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. विभागीय पत्रांक—1629, दिनांक—19.03.2026 द्वारा श्रम अधीक्षक, योजना—सह—बोर्ड, भागलपुर से विभिन्न आवेदकों/लाभुकों के आवेदन को लम्बित रखने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्रम अधीक्षक, योजना—सह—बोर्ड, भागलपुर द्वारा पत्रांक—632, दिनांक—27.04.2026 के माध्यम से श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर द्वारा अनुशंसित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं अन्य योजनाओं का निष्पादन ससमय नहीं करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कतिपय साक्ष्य के साथ श्री सिंह के विरूद्ध पुनः गम्भीर आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

6. श्रम अधीक्षक, योजना—सह—बोर्ड, भागलपुर से प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर के ऊपर गंभीर आरोपों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय उप श्रमायुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

7. निलम्बन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य दर से जीवन—निर्वाह भत्ता देय होगा। अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ववत संचालित रहेगी।

ह०/—
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः– 5/आर०एल०–40–172/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णियॉ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः– 5/आर०एल०–40–172/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः– 5/आर०एल०–40–172/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– उप श्रमायुक्त, भागलपुर/पूर्णियॉ/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रम अधीक्षक, योजना–सह–बोर्ड, भागलपुर एवं श्री राजेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहकुंड, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप श्रमायुक्त, भागलपुर को निदेश है कि इस आदेश का तामिला श्री राजेश कुमार सिंह को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः– 5/आर०एल०–40–172/2025 श्र०सं०– 2623 पटना, दिनांक– 12/05/2026

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निदेश है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

12/5/26

श्रमायुक्त, बिहार